महत्वपूर्ण / वेबसाइट!

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दू0सं0 0135–2746934 2741461, फैक्स– 2741630, 2741462 ईमेलः pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या– P·O· /23 देहरादून, दिनांक, जुलाई 05 2018

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक / निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / उप निदेशक, / उप वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

विषय :– वन विभाग के अन्तर्गत संविदा / आउटसोर्स के रूप में कार्यरत दैनिक श्रमिकों की समस्याओं के निवारण के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

दैनिक श्रमिक संविदा आउटसोर्स श्रमिक संघ (उत्तराखण्ड वन विभाग कोटद्वार इकाई) के प्रतिनिधि **प्रदेश मुख्य संयोजक, उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा** के साथ अधोहस्ताक्षरी से दिनांक 05.07.2018 को मिले तथा उनके द्वारा अपना मांग पत्र सौंपा गया। उक्त श्रमिक संघ के मांग पत्र पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

1. संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार **भूमि संरक्षण वन प्रभाग–लैन्सडौन, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग तथा लैन्सडौन वन प्रभाग** के अन्तर्गत श्रमिकों को उनकी सेवाओं के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान में, अन्य प्रभागों की तुलना में काफी कमी है। सम्भवतः अन्य वन प्रभागों में भी इस प्रकार की विषमता हो सकती है। अतः समस्त श्रमिकों को उनकी सेवाओं की प्रकृति के सापेक्ष भुगतान में यथासम्भव एकरूपता बनाये रखने की आवश्यकता है। **मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल** इस सम्बन्ध में उल्लिखित वन प्रभागों से विवरण प्राप्त कर विषमता के निराकरण हेतु अविलम्ब कार्यवाही कर एक सप्ताह के अन्तर्गत अवगत करायेंगे।
2. वन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के आकस्मिक मृत्यु की दशा में उनके परिवार हेतु सामाजिक सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था विभाग में प्रचलित नहीं है। बीमा एक विकल्प है। इस सम्बन्ध में आगामी वन संरक्षक सम्मेलन (18–19 जुलाई, 2018) में चर्चा की जायेगी, जिस हेतु कृपया सुझाव दिये जायें।
3. संविदा / आउटसोर्स श्रमिकों की सेवायें उपलब्ध कराने वाले कतिपय सेवाप्रदाताओं के द्वारा जी.एस.टी. का अंश श्रमिकों के पारिश्रमिक से काटा जाना सूचित किया गया है। यह उचित नहीं है। देयता की स्थिति में इसका भुगतान विभाग से पृथक से लिया जाना चाहिये न कि श्रमिकों के पारिश्रमिक से।

4. श्रमिकों के पारिश्रमिक के भुगतान में प्रायः कई माहों का विलम्ब हो रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है। कदाचित सम्बन्धित मद में शासन स्तर से बजट की स्वीकृति में विलम्ब भी इसका कारण है। परन्तु, ऐसे प्रकरणों में जहाँ *कैम्पा, जायका, नमामि गंगे* आदि परियोजनाओं से भुगतान की स्थिति बनती हो, वहाँ पर भुगतान में कदापि विलम्ब न किया जाये। आप सभी सहमत होंगे कि ये श्रमिक अपने मासिक पारिश्रमिक के आधार पर ही अपने परिवार का उचित पालन–पोषण कर पाते हैं और यदि इसमें बहुत विलम्ब हो जाये तो इनके परिवार के जीवन–यापन के लिये अत्यन्त कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
5. संविदा/आउटसोर्स श्रमिकों के लिये कतिपय सेवाप्रदाताओं द्वारा **पी.एफ.** एवं **ई.एस.आई.** का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। यह किया जाना विधिक दृष्टिकोण से अनिवार्य है, क्योंकि इससे कुछ सीमा तक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। अतः सुनिश्चित किया जाये कि संविदा/आउटसोर्स के श्रमिकों को **पी.एफ.** एवं **ई.एस.आई.** का लाभ प्रदान किया जाये।
6. सेवाप्रदाताओं द्वारा बोनस/प्रोत्साहन राशि के भुगतान की भी नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जैसा कि **उपनल** (जो एक 'आउटसोर्स–एजेन्सी' ही है) अपने कार्मिकों के लिये करता है।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

05/07/18

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या P·O· / 23 **,उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि **प्रदेश मुख्य संयोजक, उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा** को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि **अध्यक्ष/महामंत्री, दैनिक श्रमिक संविदा आउटसोर्स श्रमिक संघ, उत्तराखण्ड वन विभाग, कोटद्वार इकाई** को उनके माँग पत्र 11/दै./स./आ./श्र/संघ/18, दिनांक 05.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/07/18

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।